

2024 का विधेयक संख्यांक 276

[दि यूनियन टेरिटोरिज (अमेंडमेंट) बिल, 2024 का हिन्दी अनुवाद]

संघ राज्यक्षेत्र विधि (संशोधन) विधेयक, 2024

संघ राज्यक्षेत्र शासन अधिनियम, 1963, दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र
शासन अधिनियम, 1991 और जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन
अधिनियम, 2019 का और संशोधन
करने के लिए
विधेयक

भारत गणराज्य के पचहत्तरवें वर्ष में संसद द्वारा निम्नलिखित रूप में यह
अधिनियमित हो :—

1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम संघ राज्यक्षेत्र विधि (संशोधन) अधिनियम,
2024 है।

संक्षिप्त नाम
और प्रारंभ।

5 (2) यह उस तारीख को प्रवृत्त होगा, जो केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना
द्वारा, नियत करे।

1963 के
अधिनियम 20
का संशोधन ।

2. संघ राज्यक्षेत्र शासन अधिनियम, 1963 की धारा 5 को उसकी उपधारा (1) के रूप में संख्यांकित किया जाएगा, और इस प्रकार संख्यांकित उपधारा (1) के पश्चात्, निम्नलिखित उपधाराएं अंतःस्थापित की जाएंगी, अर्थात् :—

“(2) विधान सभा की पहली बैठक की तारीख से पांच वर्ष की अवधि को विधान सभा की पूर्ण अवधि के रूप में निर्दिष्ट किया जाएगा ।

(3) उपधारा (1) में किसी बात के होते हुए भी, संविधान के अनुच्छेद 82क के खंड (1) में निर्दिष्ट नियत तारीख के पश्चात् हुए किसी साधारण निर्वाचन में गठित संघ राज्यक्षेत्र की विधान सभा का कार्यकाल लोक सभा के पूर्ण कार्यकाल की समाप्ति पर समाप्त हो जाएगा ।

(4) जहां उपधारा (1) या उपधारा (3) में निर्दिष्ट विधान सभा अपने पूर्ण कार्यकाल की समाप्ति से पहले ही विघटित हो जाती है, तो उसके विघटन की तारीख और लोक सभा के पूर्ण कार्यकाल के बीच की अवधि को विधान सभा की समाप्त नहीं हुई अवधि के रूप में निर्दिष्ट किया जाएगा ।

(5) उपधारा (1) में किसी बात के होते हुए भी, जहां उपधारा (1) या उपधारा (3) में निर्दिष्ट विधान सभा को उसके पूर्ण कार्यकाल की समाप्ति के पहले ही विघटित कर दिया जाता है और ऐसे विघटन के कारण होने वाले निर्वाचनों के अनुसरण में नई विधान सभा का गठन किया जाता है, तो ऐसी नई विधान सभा जब तक कि पहले ही विघटित न हो जाए, ऐसी अवधि के लिए जारी रहेगी, जो ठीक पूर्ववर्ती विधान सभा के पहले के समाप्त न हुए कार्यकाल के बराबर हो और इस कार्यकाल की समाप्ति विधान सभा के विघटन के रूप में प्रवर्तित होगी ।

(6) उपधारा 5 के अधीन गठित विधान सभा, पूर्व विधान सभा की निरंतरता में नहीं होगी और विघटन के सभी परिणाम उपधारा (4) में निर्दिष्ट विधान सभा को लागू होंगे ।”।

1992 के
अधिनियम सं.
1 का संशोधन ।

3. दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र शासन अधिनियम, 1991 की धारा 5 को उसकी उपधारा (1) के रूप में संख्यांकित किया जाएगा और इस प्रकार संख्यांकित उपधारा के पश्चात् निम्नलिखित उपधाराएं अंतःस्थापित की जाएंगी, अर्थात् :—

“(2) विधान सभा की पहली बैठक की तारीख से पांच वर्ष की अवधि को विधान सभा की पूर्ण अवधि के रूप में निर्दिष्ट किया जाएगा ।

(3) उपधारा (1) में किसी बात के होते हुए भी, संविधान के अनुच्छेद 82क के खंड (1) में निर्दिष्ट नियत तारीख के पश्चात् हुए किसी साधारण निर्वाचन में गठित संघ राज्यक्षेत्र की विधान सभा का कार्यकाल लोक सभा के पूर्ण कार्यकाल की समाप्ति पर समाप्त हो जाएगा ।

(4) जहां उपधारा (1) या उपधारा (3) में निर्दिष्ट विधान सभा अपने पूर्ण कार्यकाल की समाप्ति से पहले ही विघटित हो जाती है, तो उसके विघटन की तारीख और लोक सभा के पूर्ण कार्यकाल के बीच की अवधि को विधान सभा की समाप्त नहीं हुई अवधि के रूप में निर्दिष्ट किया जाएगा ।

(5) उपधारा (1) में किसी बात के होते हुए भी, जहां उपधारा (1) या उपधारा (3) में निर्दिष्ट विधान सभा को उसके पूर्ण कार्यकाल की समाप्ति के पहले ही

विघटित कर दिया जाता है और ऐसे विघटन के कारण होने वाले निर्वाचनों के अनुसरण में नई विधान सभा का गठन किया जाता है, तो ऐसी नई विधान सभा जब तक कि पहले ही विघटित न हो जाए, ऐसी अवधि के लिए जारी रहेगी, जो ठीक पूर्ववर्ती विधान सभा के पहले के समाप्त न हुए कार्यकाल के बराबर हो और इस कार्यकाल की समाप्ति विधान सभा के विघटन के रूप में प्रवर्तित होगी ।

(6) उपधारा (5) के अधीन गठित विधान सभा पूर्व विधान सभा के निरंतरता में नहीं होगी और विघटन के सभी परिणाम उपधारा (4) में निर्दिष्ट विधान सभा को लागू होंगे ।”।

10 4. जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम, 2019 की धारा 17 को उसकी उपधारा (1) के रूप में संख्यांकित किया जाएगा और इस प्रकार संख्यांकित उपधारा के पश्चात् निम्नलिखित धाराएं अंतःस्थापित की जाएंगी, अर्थात् :—

2019 के
अधिनियम सं.
34 का
संशोधन ।

“(2) विधान सभा की पहली बैठक की तारीख से पांच वर्ष की अवधि को विधान सभा की पूर्ण अवधि के रूप में निर्दिष्ट किया जाएगा ।

15 (3) उपधारा (1) में किसी बात के होते हुए भी, संविधान के अनुच्छेद 82क के खंड (1) में निर्दिष्ट नियत तारीख के पश्चात् हुए किसी साधारण निर्वाचन में गठित संघ राज्यक्षेत्र की विधान सभा का कार्यकाल लोक सभा के पूर्ण कार्यकाल की समाप्ति पर समाप्त हो जाएगा ।

20 (4) जहां उपधारा (1) या उपधारा (3) में निर्दिष्ट विधान सभा अपने पूर्ण कार्यकाल की समाप्ति से पहले ही विघटित हो जाती है, तो उसके विघटन की तारीख और लोक सभा के पूर्ण कार्यकाल के बीच की अवधि को विधान सभा की समाप्त नहीं हुई अवधि के रूप में निर्दिष्ट किया जाएगा ।

25 (5) उपधारा (1) में किसी बात के होते हुए भी, जहां उपधारा (1) या उपधारा (3) में निर्दिष्ट विधान सभा को उसके पूर्ण कार्यकाल की समाप्ति के पहले ही विघटित कर दिया जाता है और ऐसे विघटन के कारण होने वाले निर्वाचनों के अनुसरण में नई विधान सभा का गठन किया जाता है, तो ऐसी नई विधान सभा जब तक कि पहले ही विघटित न हो जाए, ऐसी अवधि के लिए जारी रहेगी, जो ठीक पूर्ववर्ती विधान सभा के पहले के समाप्त न हुए कार्यकाल के बराबर हो और इस कार्यकाल की समाप्ति विधान सभा के विघटन के रूप में प्रवर्तित होगी ।

30 (6) उपधारा (5) के अधीन गठित विधान सभा पूर्व विधान सभा के निरंतरता में नहीं होगी और विघटन के सभी परिणाम उपधारा (4) में निर्दिष्ट विधान सभा को लागू होंगे ।”।

उद्देश्यों और कारणों का कथन

भूतपूर्व राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविन्द की अध्यक्षता में देश में साथ-साथ निर्वाचन के मुद्दे की परीक्षा करने और साथ-साथ निर्वाचन आयोजित कराने के लिए सिफारिशें करने के लिए 2 सितंबर, 2023 को एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया गया था। अभिलेख पर उपलब्ध सभी सामग्री पर सम्यक् विचार-विमर्श और उसकी परीक्षा करने और इस विषय पर किए गए परामर्शों के पश्चात्, समिति ने पहले प्रक्रम पर लोक सभा और सभी विधान सभाओं के साथ-साथ निर्वाचन आयोजित कराने के लिए 14 मार्च, 2024 को माननीय राष्ट्रपति को अपनी सिफारिशें प्रस्तुत की हैं। सरकार ने उच्च स्तरीय समिति की सिफारिशों को स्वीकार किया है।

2. समिति ने सिफारिश की है कि लोक सभा और विधान सभाओं, जिसके अंतर्गत संघ राज्यक्षेत्रों की विधान सभाएं भी हैं, के पहले प्रक्रम के निर्वाचन साथ-साथ आयोजित किए जाने चाहिए। उच्च स्तरीय समिति की सिफारिशों के क्रियान्वयन के लिए विधेयक अर्थात् संघ राज्यक्षेत्र विधि (संशोधन) विधेयक, 2024 पहले प्रक्रम में लोक सभा और सभी विधान सभाओं के साथ-साथ निर्वाचन आयोजित कराने का उपबंध करने के लिए प्रस्तावित किया गया है।

3. संघ राज्यक्षेत्र विधि (संशोधन) विधेयक, 2024 में लोक सभा और राज्य विधान सभाओं के साथ-साथ निर्वाचन आयोजित कराने को संरक्षित करने के लिए संघ राज्यक्षेत्र शासन अधिनियम, 1963 की धारा 5, दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र शासन अधिनियम, 1993 की धारा 5 और जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम, 2019 की धारा 17 में पारिणामिक संशोधन करने का प्रस्ताव किया गया है।

4. विधेयक उपरोक्त उद्देश्यों की पूर्ति के लिए है।

नई दिल्ली;
12 दिसम्बर, 2024

अर्जुन राम मेघवाल